रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-08102020-222313 CG-MH-E-08102020-222313

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] No. 424] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2020/आश्विन 16, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020/ASVINA 16, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 08 अक्टूबर, 2020

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020

- सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन2020/32.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-
- 1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- 3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,-
 - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
 - i. खंड (घ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

4788 GI/2020 (1)

" "समाशोधन निगम" (क्लीयरिंग कारपोरेशन) से ऐसी एंटिटी अभिप्रेत है जिसे उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या अन्य लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) या उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में होने वाले व्यापारों (ट्रेड) के समाशोधन (क्लीयरिंग) तथा निपटान (सेटलमेंट) का क्रियाकलाप करने के लिए स्थापित किया गया हो, जिनका लेनदेन (डीलिंग) या व्यापार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, और जिसमें समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) तथा अध्याय IV-क के तहत उल्लिखित 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) शामिल है;"

ii. खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(जक) "ऋण प्रतिभूतियों" (डैट सिक्यूरिटीज़) से कंपनी (कारपोरेट) बॉण्ड, डिबेंचर या कोई अन्य ऋण लिखत (डैट इंस्ट्रूमेंट) अभिप्रेत है, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;"

iii. खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(ञक) "सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम" (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) से ऐसी एंटिटी अभिप्रेत है, जिसे रेपो संबंधी लेनदेनों (ट्रांजैक्शन्स) के समाशोधन (क्लीयरिंग) तथा निपटान (सेटलमेंट) का क्रियाकलाप करने के लिए स्थापित किया गया हो;"

iv. खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(दक) "रेपो" से एक ऐसा लिखत (इंस्ट्र्मेंट) अभिप्रेत है, जो ऐसा करार (एग्रीमेंट) करके ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) को बेचकर उधार लेने के लिए जारी किया जाता है कि किसी तय भावी तारीख को तय की गई कीमत [जिसमें उधार लिए गए पैसों (फंड) पर मिलने वाला ब्याज शामिल है] पर ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) की पुन:खरीद की जाएगी;

(दख) "रेपो संबंधी लेनदेन" (रेपो ट्रांजैक्शन) से ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) [जिनका लेनदेन (डीलिंग) या व्यापार (ट्रेडिंग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है] में रेपो और रिवर्स रेपो में किया जाने वाला लेनदेन (ट्रांजैक्शन) अभिप्रेत है;

(दग) "रिवर्स रेपो" से एक ऐसा लिखत (इंस्ट्र्मेंट) अभिप्रेत है, जो ऐसा करार (एग्रीमेंट) करके ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) को खरीदकर उधार देने के लिए जारी किया जाता है कि किसी तय भावी तारीख को तय की गई कीमत [जिसमें उधार दिए गए पैसों (फंड) पर मिलने वाला ब्याज शामिल है] पर ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) की पुन:बिक्री की जाएगी;"

II. विनियम 7 में, उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जहाँ आवेदक अध्याय IV-क के तहत उल्लिखित 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) हो, वहाँ इस खंड के तहत दी हुई अपेक्षा के पालन के संबंध में मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (निगमों) के साथ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ, की गई आउटसोर्सिंग की व्यवस्था (व्यवस्थाएँ) दिखाई जा सकेगी (सकेंगी)।"

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जहाँ आवेदक अध्याय IV-क के तहत उल्लिखित 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) हो, वहाँ इस खंड के तहत दी हुई अपेक्षा के पालन के संबंध में मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (निगमों) के साथ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ, की गई आउटसोर्सिंग की व्यवस्था (व्यवस्थाएँ) दिखाई जा सकेगी (सकेंगी)।"

(iii) अध्याय-IV के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"अध्याय IV-क

सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम

लागू होना

- **22क.** (1) इस अध्याय के प्रावधान केवल मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगमों' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) पर लागू होंगे।
 - (2) इन विनियमों के सभी प्रावधान (विनियम 18, विनियम 31 और विनियम 38 को छोड़कर) मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) पर लागू होंगे।

मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' में शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग)

22ख. (1) भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे अकेले या सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' की समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक अर्जित या धारण नहीं करेगा:

परंतु यह कि,-

- (क) निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी);
- (ख) बैंकिंग कंपनी;
- (ग) बीमा कंपनी;
- (घ) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज;
- (ङ) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन);
- (च) लोक वित्तीय संस्था;
- (छ) बोर्ड के पास रिजस्ट्रीकृत म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) की आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी); और
- (ज) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत पेंशन निधि की आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी),

प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे अकेले या सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी के पंद्रह प्रतिशत तक अर्जित या धारण कर सकेंगे।

(2) भारत के बाहर निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे अकेले या सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक अर्जित या धारण नहीं करेगा:

परंत यह कि.-

- (क) विदेशी स्टॉक एक्सचेंज;
- (ख) विदेशी निक्षेपागार:
- (ग) विदेशी बैंकिंग कंपनी:

- (घ) विदेशी बीमा कंपनी;
- (ङ) विदेशी कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्ज़) एक्सचेंज; और
- (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्तीय संस्था,

प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे अकेले या सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी के पंद्रह प्रतिशत तक अर्जित या धारण कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण.- इस परंतुक के प्रयोजनार्थ, खंड (क) से (च) में उल्लिखित व्यक्तियों से भारत के बाहर मान्यताप्राप्त / निगमित व्यक्ति अभिप्रेत होंगे।

- (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अन्यथा निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अध्यधीन, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी में भारत के बाहर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की कुल धारिता, किसी भी समय, उसकी कुल समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी के उनचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (4) 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' का गठन (को स्थापित) करने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अविध तक रुद्ध (लॉक-इन) रहेगी।

मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' के शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) की संरचना

22ग. ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) के प्रतिनिधि को मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' के शासी मंडल में रोटेशनल आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा, और ऐसे निदेशक को शेयरधारक निदेशक समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) का प्रतिनिधि शीर्ष तीन निर्गमकर्ताओं [पिछले वित्तीय वर्ष में उनके निर्गम (इश्यू) के आकार के आधार पर], जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हों, में से किसी एक का प्रतिनिधि होगा।

निपटान गारंटी निधि (सेटलमेंट गारंटी फंड) में अंशदान

- 22घ. (1) विनियम 37 में यथा निर्धारित निधि (फंड) में अंशदान मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम', समाशोधन सदस्यों और ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) द्वारा उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
- (2) निधि (फंड) में कमी हो जाने पर, मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' उस कमी को पूरा करेगा [निर्धारित सीमा-रेखा के स्तर (थ्रेस्होल्ड लेवल) को कायम रखने के लिए], जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

मुनाफों और निवेशों का इस्तेमाल

22ङ. (1) मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगमों' द्वारा मुनाफों और निवेशों का इस्तेमाल बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा:

परंतु यह कि बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की तारीख से पहले पाँच वर्षों तक, शेयरधारकों को लाभांश का कोई वितरण नहीं किया जाएगा, और मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' के मुनाफे विनियम 37 में यथा निर्धारित निधि (फंड) में अंतरित (ट्रांसफर) किए जाएंगे।

(2) 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम', बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा, फिर चाहे पैसों (फंड) के उपयोग (डिप्लॉयमेंट) से संबंधित क्रियाकलाप हो या कोई अन्य क्रियाकलाप हो:

परंतु यह कि कोष संबंधी निवेशों (ट्रेज़री इन्वेस्टमेंट्स) के मामले में बोर्ड की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं होगी, यदि ऐसे निवेश 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' के शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) द्वारा मंजूर की गई निवेश संबंधी नीति के अनुसार किए जा रहे हों।

माध्यस्थम् की व्यवस्था (आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म)

22च. मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' के यहाँ माध्यस्थम् की व्यवस्था (आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म) होगी, ताकि उन लेनदेनों (ट्रांजैक्शन) से संबंधित विवादों या दावों का निपटारा किया जा सके जिनका समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) उसके द्वारा किया गया हो।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./285/2020-21]

पाद टिप्पण:

- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात्
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October 2020

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely:—

- 1. These regulations maybe called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, -
 - I. In regulation 2, sub-regulation (1),
 - i. clause (d) shall be substituted with the following clause, namely,-

""clearing corporation" means an entity that is established to undertake the activity of clearing and settlement of trades in securities or other instruments or products that are dealt with or traded on a recognized stock exchange and includes a clearing house and a limited purpose clearing corporation specified under Chapter IV-A."

ii. after clause (h), the following clause shall be inserted, namely,-

"(ha) "debt securities" means corporate bonds, debentures or any other debt instruments as may be specified by the Board;"

iii.after clause (j), the following clause shall be inserted, namely,-

"(ja)"limited purpose clearing corporation" means an entity that is established to undertake the activity of clearing and settlement of repo transactions;"

iv. after clause (r), the following clause shall be inserted, namely,-

"(ra)"repo" means an instrument for borrowing by selling debt securities with an agreement to repurchase the debt securities on an agreed future date at an agreed price which includes interest on funds borrowed;

(rb)"repo transaction" means a transaction in repo and reverse repo in the debt securities that are dealt with or traded on a recognised stock exchange;

(rc)"reverse repo" means an instrument for lending by purchasing debt securities with an agreement to resell the debt securities on an agreed future date at an agreed price which includes interest on funds lent;"

- II. In regulation 7, sub-regulation (4),
 - i. after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that where the applicant is a limited purpose clearing corporation specified under Chapter IV-A, compliance with the requirement under this clause may be demonstrated by way of outsourcing arrangement(s) with a recognized clearing corporation(s), subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time;"

ii. after clause (g), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that where the applicant is a limited purpose clearing corporation specified under Chapter IV-A, compliance with the requirement under this clause may be demonstrated by way of outsourcing arrangement(s) with a recognized clearing corporation(s), subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time;"

III. after Chapter IV, the following Chapter shall be inserted, namely, -

"CHAPTER IV - A

LIMITED PURPOSE CLEARING CORPORATION

Applicability

- **22A.** (1) The provisions of this Chapter shall only apply to the recognized limited purpose clearing corporations.
 - (2) All provisions under these regulations, except regulation 18, regulation 31 and regulation 38, shall apply to the recognized limited purpose clearing corporation.

Shareholding in a recognised limited purpose clearing corporation

22B. (1) No person resident in India shall at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than five per cent. of the paid-up equity share capital in a limited purpose clearing corporation:

Provided that, —

(a) a depository;

- (b) a banking company;
- (c) an insurance company;
- (d) a recognised stock exchange;
- (e) a recognised clearing corporation;
- (f) a public financial institution;
- (g) an asset management company of a mutual fund registered with the Board; and
- (h) an asset management company of a pension fund registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority;

may acquire or hold, either directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, up to fifteen per cent of the paid- up equity share capital of a recognised clearing corporation.

(2) No person resident outside India shall, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than five per cent of the paid-up equity share capital in a recognised clearing corporation.

Provided that. —

- (a) a foreign stock exchange;
- (b) a foreign depository;
- (c) a foreign banking company;
- (d) a foreign insurance company;
- (e) a foreign commodity derivatives exchange; and
- (f) a bilateral or multilateral financial institution approved by the Central Government,

may acquire or hold, either directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, up to fifteen per cent of the paid-up equity share capital of a recognized clearing corporation.

Explanation. — For the purpose of this proviso, the persons referred to in clauses (a) to (f) shall mean persons recognised/incorporated outside India.

- (3) Subject to the limits as otherwise prescribed by the Central Government from time to time, the combined holding of all persons resident outside India in the paid-up equity share capital of a recognised clearing corporation shall not exceed, at any time, forty-nine per cent of its total paid up equity share capital.
- (4) The shareholding of persons setting up the limited purpose clearing corporation shall be locked-in for a period of five years from the date of grant of recognition by the Board.

Composition of the governing board of recognised limited purpose clearing corporation

22C. The representative of the issuers of debt securities may be appointed on the governing board of the recognized limited purpose clearing corporation on a rotational basis and such a director shall be deemed to be a shareholder director.

Explanation. — For the purpose of this sub-regulation, representative of issuers of debt securities during a financial year shall be one amongst the top three issuers, which are public sector undertakings, based on their issue size in the preceding financial year.

Contribution to the Settlement Guarantee Fund

- **22D.** (1) The contribution to the Fund as specified in regulation 37 shall be made by the recognized limited purpose clearing corporation, the clearing members and issuers of the debt securities, in the manner as may be specified by the Board from time to time.
 - (2) Any shortfall in the Fund, shall be replenished by the recognized limited purpose clearing corporation to the threshold level as may be specified by the Board from time to time.

Utilization of profits and investments

22E. (1) The utilization of profits and investments by recognized limited purpose clearing corporations shall be in accordance with the norms specified by the Board:

Provided that for the first five years from the date of grant of recognition by the board, there shall be no distribution of dividend to the shareholders and the profits of recognized limited purpose clearing corporation shall be transferred to the Fund specified in regulation 37.

(2) The limited purpose clearing corporation shall not carry on any activity whether involving deployment of funds or otherwise without the prior approval of the Board:

Provided that the prior approval of the Board shall not be required in case of treasury investments if such investments are as per the investment policy approved by the governing board of limited purpose clearing corporation.

Arbitration Mechanism

22F. The recognized limited purpose clearing corporation shall have arbitration mechanism for settlement of disputes or claims arising out of transactions cleared and settled by it."

AJAY TYAGI, Chairman [Advt.-III/4/Exty./285/2020-21]

Footnote:

- 1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
- 2. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended
 - (a) 4th June, 2019, the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, the SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.